न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 160/2017

1. राजुराम
2. रोशनी | पि.हरचन्द जाति सांसी निवासी 8 के.एन.डी.–बी तहसील घडसाना
3. गंगूराम | जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. हरचन्द पुत्र बखूराम जाति सांसी निवासी 8 के.एन.डी.–बी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
2. चन्दो देवी
3. नत्थूराम | पिसरान हरचन्द जाति सांसी निवासी 8 के.एन.डी.–बी तहसील
4. सुखीदेवी | घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
5. शांति देवी पत्नी हरचन्द जाति सांसी निवासी 8 के.एन.डी.–बी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 08.11.2017

उपस्थितिः–

श्री आर.के.लूणा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 20.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी घडसाना के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि चक 8 के.एन.डी.बी. के मु.नं. 10 प.नं. 32/14 के कि.नं. 1 से 25 की

20/6/18
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

6.173है0 भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें एवं रहन, बैय आदि से मुन्तकिल न करे। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति है एवं अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार हैं जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 5 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय दिनांक 08.11.2017 को प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हर प्रकार से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में था। विवादित भूमि संयुक्त परिवार की है जिसमें अपीलार्थीगण का हक व हिस्सा बनता है। यदि दौराने वाद के निर्णय से पूर्व भूमि का हस्तांतरण हो जाता है तो अपीलांट के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पों. सं. 1 की स्वअर्जित भूमि है एवं वह खातेदार कृषक है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट का मुख्य कथन यह रहा है कि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है एवं बंटवारा कर सभी को भूमि दी गई है, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न अधी. न्यायालय में पेश हुए और न ही इस न्यायालय में पेश हुए। विवादित भूमि का रेस्पों. सं. 1 अभिलिखित खातेदार है। अधी. न्यायालय ने

20/6/18

धारा 212 आर.टी.एक्ट के तीनों कारकों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विवेचन करते हुए प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रा.पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का आदेश दिनांक 08.11.2017 यथावत रखा जाता

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर